

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्रांक : 975 / एस0टी0-एस0डी0एम0 / 2024

दिनांक : 06-08-2024

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा ओ0ए0 संख्या: 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2024 के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट पत्र संख्या 881/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में पुनः मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ने समस्त सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त कर अपने पत्र संख्या 224/एस0टी0/एन0जी0टी0 संदर्भ/2024-25 दिनांक 06 अगस्त, 2024 के द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा पत्रांक 787/14-10-4 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई 2024 द्वारा जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक दिनांक 26.07.2024 की आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ एवं प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की पीठ के समक्ष अग्रतर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय


जिलाधिकारी
लखनऊ

संख्या व दिनांक तद्।

प्रतिलिपि :-

1. श्री भंवर सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के क्रम में अनुपालनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी
लखनऊ



BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 602 of 2022

IN THE MATTER OF

Utkarsh Singh Chauhan

State of Uttar Pradesh & Ors.



AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE LUCKNOW, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF THE ORDER BY THIS HON'BLE TRIBUNAL DATED 07.05.2024.

I Surya Pal Gangwar aged about 46 years, S/o Shri N L Gangwar, do hereby most solemnly state and affirm as under;

1. I am the District Magistrate, Lucknow, Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in compliance of order dated 07.05.2024 of this Hon'ble Tribunal.

2. That the Original Application was listed on 07.05.2024 for hearing before the Hon'ble Tribunal. After hearing the matter and perusal of the report filed by the UPPCB and District Magistrate, Lucknow passed the order which is as follows:

"7. We have gone through the reports and we find that requisite remedial measures essentially required to be taken for restoration of Chande Baba Talab have not been taken by the concerned authorities so far. The question as to whether Chande Baba Talab is liable to be declared wetland in view of the area involved has also not been considered/decided.

8. No doubt the matter of removal of encroachments is also involved but the area under encroachment is merely 3.1859 hectare and the remaining area is available for restoration which needs to be focused upon and given priority and the matter of restoration/rejuvenation of remaining area of the pond cannot be allowed to be delayed by tagging the same with the question of removal of encroachments.

9. Additional Chief Secretary, Environment Department, Government of Uttar Pradesh, the Chairman, State Wetland Authority, and the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttar Pradesh are directed to personally look into the matter and issue appropriate instructions for taking of remedial measures and file their own affidavits within two months regarding remedial measures taken/to be taken for restoration of the pond and better utilization of the area available.

10. The District Magistrate, Lucknow is also directed to file his report by way of his own affidavit within two months mentioning in detail action taken/to be taken and also the deliberations made in the meetings of the District Wetland Committee regarding 'Chande Baba Talab' alongwith copies of the minutes recording the deliberations/decisions regarding the same.

12. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the District Magistrate, CDO and DFO, Lucknow before this Tribunal on the next date of hearing physically or through VC to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are directed to remain present before this Tribunal on that date."

3. That it is pertinent to mention here that the matter in question for rejuvenation and development of the lake named 'Chande Baba Talab' situated in village Garhi-Chunoti, Lucknow, has been taken up with utmost sincerity and continuous, strenuous and meticulous efforts are being taken in order to ensure that diligent compliance is made to the order dated 07.05.2024 by this Hon'ble Tribunal.

Surya Pal Gangwar



4. That in compliance of the order dated 07.05.2024, the deponent sought the action taken report (ATR) from the Chief Development Officer, Lucknow and in pursuance thereof the Action Taken Report has been submitted by the Chief Development Officer, Lucknow before the deponent vide letter dated 06.08.2024.
5. The as per the Action Taken Report submitted by the Chief Development Officer, Lucknow, the following efforts have been made for rejuvenation and development of the lake in question;
- Removal of Encroachment around the Pond
 - a. The list has been prepared by conducting a survey of all the 123 families living in Talab Gata No. 268.
 - b. Out of the above 123 families, action is being taken against the 05 families with respect to evict their possession over the said Pond.
 - c. Rest landless 118 families belonging to the SC/ST & OBC category, a meeting was held for allotment of the land in Village Lonha.
 - Removal of Hyacinth
 - a. The work of cleaning hyacinth in the pond is continuously being done at the level of department.
 - Identification and taping of drains to curtail Pollution Source sat inlet.
 - a. Soakpits have been constructed for the water sources of the pond, which helps in collecting and disposing of the waste water away from the house.
 - b. Filter Chambers have been constructed for the water sources of the pond which prevent silt, soil, sediment metals and pesticides from entering the water storage system and causing harm.
 - c. Silt catcher has been constructed for the water sources of ponds, which collects the silt at the bottom of the pond and works to filter the water.
 - d. The drain has been constructed for removing the culminated water.
 - Removal of Polluted Water from Pond
 - Rejuvenation/Beautification of the Pond
 - Development of Green Belt
 - Water Monitoring of the Pond
6. That it is important to mention here that the efforts elaborated above clearly shows the intent for complying with the orders of the Hon'ble Tribunal and to work towards preservation and development of such projects which help in conservation, protection, preservation and safeguarding the environment for a more sustainable growth.

True Copy of the Action Taken Report dated 06.08.2024 has been annexed herein as **ANNEXURE R1**

7. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION:



OATH COMMISSIONER


Verified at Lucknow on this 7th day of August, 2024, at 6:25 pm, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

OATH COMMISSIONER
Dependent identified by Sri R. B.
OATH COMMISSIONER
Muzamir CS Office Lucknow
OATH COMMISSIONER
OATH COMMISSIONER
OATH COMMISSIONER

Sri R. B.
DEPONENT
[Signature]
OATH COMMISSIONER



OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD
Lucknow
No. 0218168
Date 7/8/24



swor



swor



ON...
H...
No... 0218168
Date... 7/8/26

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक- 224/एस0टी0/एन0जी0टी0सन्दर्भ/2024-25 दिनांक-06 अगस्त, 2024

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-602/2022, उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 18.01.2023 एवं अग्रेत्तर आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों से अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्राप्त की गयी। अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) निम्नवत् है-

1-**Removal of encroachment around the pond**-उप जिलाधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:-

- तालाव गाटा संख्या-268 में आवासीय समस्त 123 परिवारों को सर्वे कराकर सूची तैयार ली गयी है।
- उक्त 123 परिवारों में से 05 परिवारों को वेदखल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- अवशेष 118 अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को अन्य ग्राम लोनहा में आवासीय भूमि चिन्हित कर नियमानुसार आवंटित किये जाने की कार्यवाही किये जाने के क्रम में दिनांक 30.03.2024 को पंचायत भवन ग्राम लोनहा में खुली बैठक की गयी, जिसमें ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) और 815स (ऊसर) आवंटन ग्राम गढ़ी चुनौटी के 118 परिवारों हेतु किये जाने विषयक चर्चा की गयी, जिस पर ग्रामवासियों एवं पंचायत सदस्यों द्वारा कहा गया कि हमारे ग्राम में भूमि संसाधन पहले से कम हैं। ग्राम में अनेक योजनाएं एवं कार्य किये जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। अतः ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) और 815स (ऊसर) का आवंटन ग्राम गढ़ी चुनौटी के ग्रामवासियों को नहीं किया जाना चाहिए। अतः अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) और 815स (ऊसर) को ग्राम गढ़ी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया। पुनः अध्यक्ष की अनुमति से दिनांक 29.04.2024 को ग्राम पंचायत लोनहा में पुनः बैठक की गयी, जिसमें भी भूमि आवंटित न किये जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है (संलग्नक-01)।



27/8

- 2-Removal of hyacinth**—खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उगत के अन्तर्गत मौके पर मौजूद तालाब में जलकुम्भी की सफाई का कार्य माह जून में ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था, पुनः वर्षा होने एवं तालाब में जल भराव होने के कारण तालाब में पुनः जल कुम्भी हो गयी है, जिसकी सफाई का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है (फोटो संलग्न)। वर्षा काल में अधिक गहराई वाले क्षेत्र में जल भराव अधिक होने के कारण वर्तमान में कार्य में कठिनाई होने के साथ-साथ श्रमिकों हेतु खतरनाक भी है, किन्तु कार्य निरन्तर प्रगति पर है, अतिशीघ्र शत-प्रतिशत सफाई कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। (संलग्नक-02)




3-Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet

खण्ड विकास अधिकारी सरोजनीनगर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि तालाब के पास निवास कर रहे विभिन्न बस्तियों के मकानों से गन्दा पानी तालाब में गिराया जा रहा था जिसमें मुख्य रूप से गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, नट खेड़ा तथा बनियन खेड़ा बस्ती में निवास कर रहे लगभग 20 व्यक्तिगत परिवारों के द्वारा अपने घरों के पानी को तालाब में गिराया जा रहा था। उसे कुल 290 मी0 पक्की नाली एवं 03 सोकपिट 03 फिल्टर चैम्बर एवं सिल्ट कैचर ग्राम पंचायत से बनाकर गन्दा पानी तालाब में जाने से रोक दिया गया है। अब कोई भी गन्दा पानी तालाब में नहीं जा रहा है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:-


1- तालाब के जल स्रोतों हेतु सोकपिट का निर्माण कराये गये है, जिससे अपशिष्ट जल को घर से दूर एकत्र करने और निपटाने में मदद मिलती है। सोकपिट अपशिष्ट जल में मौजूद प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। कार्य स्थल निम्नवत है:-

- गढ़ी चुनौटी में मुन्नीलाल के दरवाजे के पास सोकपिट निर्माण।
- गढ़ी चुनौटी में रमेश पुत्र बाबूलाल के घर के पास सोकपिट निर्माण।
- गढ़ी चुनौटी में नरेन्द्र के घर के पास सोकपिट निर्माण।



2- तालाब के जल स्रोतों हेतु फिल्टर चैम्बर का निर्माण कराया गया है, जो गाद, मिट्टी, तलछट धातुओं एवं कीटनाशकों को जल भण्डारण प्रणाली में प्रवेश करने एवं नुकसान पहुंचाने से रोकते है। कार्य स्थल निम्नवत है:-

- नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य।
- हरदयाल के घर के पीछे फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य।
- राम विलास के घर के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य।




Signature

(3)

3- तालाबों के जल स्रोतों हेतु रिहल्ट कैचर का निर्माण कराया गया है, जो कि रिहल्ट को टैंक के तल पर एकत्रित करके पानी को फिल्टर करने का काम करता है। कार्य स्थल निम्नवत है:-

a- दरियापुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण व रिहल्ट कैचर कार्य।




4- सूचित जल प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से नियंत्रित हेतु नाली निर्माण कराया गया है। कार्य स्थल निम्नवत है:-


a- बन्दिवा के धर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।

b- राम प्रसाद के धर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य।

c- सुनील के धर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। (संलग्नक-02, 03)



4- **Removal Of Polluted Water From Pond-** 03 नाले से गन्दा पानी तालाब में सामूहिक रूप से गिर रहा था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त रामरत बरितायों व व्यक्तिगत घरों के पानी को ग्राम गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, बनियनखेड़ा, नटखेड़ा से होते हुये डामर रोड तक कुल 1050 मी० के नाले, जो 03 मी० चौड़ा तथा 02 मी० गहरा है, की खुदाई ग्राम पंचायत से कराते हुये गन्दे पानी को तालाब में जाने से रोक दिया गया है। इस गन्दे पानी को उपरोक्त नाले के माध्यम से चोंदे बाबा तालाब की सीमा से बाहर करते हुए अन्य नाले (नगया नाला) में जोड़ दिया गया है, जिरारो गन्दा पानी नाले से होकर तालाब से बाहर जा रहा है। (संलग्नक-04)



5- **Rejuvenation/Beautification Of The Pond-** उक्त के क्रम में चोंदे बाबा तालाब, जो 36.96 हे० का है, के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुन्दरीकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ से विस्तृत मॉडल डी०पी०आर० तैयार कराया गया, जिसमें डी-सिल्टिंग हेतु मिट्टी खुदाई, तालाब के चारों तरफ बन्धा निर्माण, जल एकत्रीकरण हेतु इनलेट का प्राविधान किया गया है, जिराकी कुल लागत रू० 22.41 करोड़ का प्रावकलन गठित किया गया है। वर्तमान में बजट की उपलब्धता न होने के कारण उक्त कार्य को चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा। प्रथम चरण में मीके पर उपलब्ध तालाब एवं उसके आस-पास खुदाई कर तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य सुपरसाय/कन्वर्जन्स के माध्यम से लगभग-2.90 हे० क्षेत्र में कराने



Signature

(4)

की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, लखनऊ द्वारा प्रदान कर दी गयी है। जिसका कार्यादेश सम्बन्धित विभाग को पत्र संख्या-220 दिनांक-05-08.2024 द्वारा प्रदान कर दिया गया है। वर्षा ऋतु समाप्त होने एवं जल स्तर में कमी होने पर मौके पर मौजूद आंशिक तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अवशेष तालाब क्षेत्र की मिट्टी खुदाई एवं उठान का कार्य एन0एच0ए0आई0 एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से शासकीय कार्यहित में बनाये जा रहे मार्गों पर डालने के रूप में कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में लगभग 2.00 हे0 क्षेत्र से 34363 घन मी0 खुदाई/उठान हेतु पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 को खनन के लिए अनुज्ञा संख्या-एन0ओ0सी0/ओ0ई0/2024/7/4/376328 दिनांक 02.08.2024 को प्रदान की गयी है। जिसका कार्य संस्था द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है (संलग्नक-05)।



6-**Development of green belt**-प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-74 दिनांक-03.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया था कि चोंदे बाबा तालाब के संरक्षण हेतु कुल 1000 पौधे आयरन ट्री गार्ड के साथ पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों के अनुसार रोपण किया गया है एवं उक्त समस्त रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा भी अवगत कराया गया है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल 1300 पौधे रोपित किये गये हैं, जो कि वर्तमान में जीवित है (संलग्नक-06)।



7-**Water monitoring of the pond**-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-692 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के समादर में चोंदे बाबा तालाब के जल का अनुश्रवण मासिक रूप से कराया जा रहा है, जिसकी अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक-07)।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

OATH COMMISSIONER
High Court, Lucknow
Lakhnau

No.....D218168.....
Date.....7/8/24



भवदीय

(अजय सिंह)

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

28

ERK

संलग्नक-01

①

कोर्ट केस

प्रेषक,
जिला विकास अधिकारी,
लखनऊ।
सेवा में,
उपायुक्त (श्रम रोजगार),
लखनऊ।

पत्रांक S31 / वाद सहा0 / जि0वि0अ0 / 2024-25

दिनांक 10-6-2024

विषय:- ओरिजनल अप्लीकेशन नं0-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य
के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दा नेशनल ग्रीन अधिकरण के आदेश दिनांक 07-05-2024 संलग्न
का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, प्रश्नगत प्रकरण चान्दे बाबा तालाब से सम्बन्धित हैं।

अतः उक्त वाद प्रपत्र में पारित आदेश दिनांक 07-05-2024 को संलग्नकर इस अनुरोध के
साथ आपको प्रेषित हैं कि कृपया मा0 अधिकरण द्वारा दिए गये निर्देशों का परिपालन तथा आवश्यक
कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

जिला विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-1-मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

2-जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की सेवा में अवलोनार्थ प्रेषित।


1377

DC Manvega (श्रम रोजगार)

CDO

3P
10-6-24
(रजनीश कुमार मोदी)
वैयक्तिक सहायक (श्रेणी-1)
जिलाधिकारी लखनऊ

11/8/2024



जिला विकास अधिकारी,
लखनऊ।

उपायुक्त (श्रम रोजगार)
OATH COMMISSIONER
High Court, Lucknow
उपायुक्त (श्रम रोजगार)
लखनऊ

No... 0218168
Date... 11/8/24

Signature

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ के पत्रांक-817/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024 दिनांक-24.02.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में ग्राम गढी चुनौटी परगना विजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की गाटा सं0 268 के सम्बन्ध में पारित आदेश के अनुपालन में अवैध रूप से आवासित परिवारों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु ग्राम लोनहा की भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को सूचित किया गया। उक्त के क्रम भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम लोनहा द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है-

दिनांक-14.03.2024 को भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम लोनहा परगना विजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान द्वारा "ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814(ऊसर) व 815स (ऊसर) पर ग्राम गढी चुनौटी के 118 परिवारों को आवासीय भूमि आवंटन के सम्बन्ध में है" एजेण्डा जारी कर दिनांक-30.03.2024 को पंचायत भवन ग्राम लोनहा में खुली बैठक की गयी। बैठक में इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं पंचायत सदस्यों द्वारा कहा गया कि "हमारे ग्राम में भूमि संसाधन पहले से कम है, ग्राम में अनेक योजनाएं व कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में और भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814 व 815 का आवंटन ग्राम गढी चुनौटी के ग्रामवासियों को नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामसभा में भविष्य की उपयोगिता हेतु भूमि को संरक्षित रखना चाहिए।"

अतः अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति एवं सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम लोनहा की गाटा सं0 814 (ऊसर) व 815 (ऊसर) को ग्राम गढी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया व सहमति न बनने के कारण सभी को पुनः विचार हेतु अध्यक्ष की अनुमति से अगली बैठक दिनांक-29.04.2024 को समय 11.30 बजे स्थान पंचायत भवन लोनहा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया।

उक्त के क्रम में दिनांक 29.04.2024 को पंचायत भवन लोनहा में पुनः बैठक की गयी। बैठक में ग्रामवासियों द्वारा कहा गया कि ग्राम की भूमि पर ग्रामवासियों के उत्थान एवं विकास के कार्य कराये जाने चाहिए न कि अन्य ग्रामवासियों को भूमि आवंटित की जानी चाहिए। भविष्य में योजनाओं हेतु भूमि की अनुपलब्धता नहीं होनी चाहिए।

Jishol yoda



S. J. J.

अतः समिति की सर्वसम्मति से एवं अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति की सहमति से पुनः ग्राम लोनहा की गाटा सं० 814 (ऊसर) व 815 (ऊसर) को ग्राम गढी चुनौटी के निवासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नम्बर 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन हेतु ग्राम गढी चुनौटी से संलग्न अन्य ग्रामों व न्याय पंचायत में भूमि की उपलब्धता की जांच की जा रही है एवं उपयुक्त भूमि पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम गढी चुनौटी के गाटा सं० 268(तालाब) पर आवासित 118 गरीब परिवारों को पुनर्स्थापित किये जाने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से प्रचलित है।

आख्या अग्रिम दिशा निर्देश प्रदान किये जाने हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

सिद्धि,
 आख्या आदेश

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-अनावा
तहसील सरोजनी नगर

महात्म्य
राजि आख्या दि० ०१.०५.२४
सादर प्रेषित
०१.०५.२४
महेश

मधेदय,

नो. गे. आख्या आदेशों के अतिरिक्त
पश्चात गाटे पर आवासित आवंटन हेतु अपात्र 05
परिवारों को नियमानुसार वेदवली हेतु व्यतीवाही
प्रचलित है।

01/05/2024
Teh (Anp)



Handwritten signature or initials.

Date _____

Page No.: _____

एनोट

आज दि० 14/03/2024 को ग्रामि प्रबंधन समिति
 ग्राम लौनहा पर धिन्नौर तहसील सरौजी नगर ज० लखनऊ
 के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान के द्वारा समग्र सदस्यों तथा
 आम जनता को सूचित किया जाता है कि ग्राम प्र.
 को वार्ड उपजिलाधिकारी सरौजीनगर लखनऊ
 के प्रप-02-2024 पत्रांक - 017/एम.टी.-150010
 एम०/प्र०२५ का पत्र मेली (ग्राम प्र० सं०) के माध्यम
 से प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेखित विषय जो की
 ग्राम लौनहा की गाटा में 044 (अमर) व 045 (अमर)
 (आम) पर ग्राम अगदी चुनौती के 118 परिवारों को
 आवासीय ग्रामि आवंटन के विषय में है। मगर
 किचर बिच जाते है ग्राम प्र० सं० की खुली बैठक
 दि० 30/03/2024 को समग्र 11:30 बजे दिन में
 पंचायत गमन ग्राम लौनहा के की नाएगी। जिसमें
 सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बरफ
 के आलेखित अन्य बिन्दु पर क्या अध्यक्ष (ग्राम प्र०) सुधीर कुमार
 की अनुमति से प्राप्ति किया जा सकता है।

पद्मेश कुमार

अरवि

जाने लखनऊ

पुष्पा

जीन फलारी


अशोक कुमार

सुधीर कुमार

Handwritten signature

जाने लखनऊ


14/03/2024



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten mark

Handwritten signature

9

Date _____

Page No.: _____

आयोवाही

अध्यक्ष (ग्राम प्रमुख) ग्राम लौनहा द्वारा पूर्व सूचना दि. 14-03-2024 को अनुसार आज दि. 20/03/2024 को ग्राम लौनहा पर विजनी तहसील नगर जनपद लखनऊ में ग्राम प्रमुख समिति के अध्यक्ष श्रीमती रातानी गीता ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में खुली बैठक समय 11:30 बजे दिन में पेचायत भवन शा. लौनहा में आयोजित की गई है। ग्राम प्रमुख के कुल 13 सदस्य हैं जिसमें से 10 सदस्य बैठक में उपस्थित हैं बैठक में श्री. का. औरतपुरा हैं। अध्यक्ष श्रीमती की अनुमति से बैठक की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम पेचायत समिति ने अपनी सुलभ आवाज में ग्राम प्रमुख समिति (ग्राम लौनहा) को प्राप्त पत्र द्वारा कार्य उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ दि. 02-02-2024 पतांक. डा. एन. टी. एन. एम. एम. 2024 में दिए गए विषय जो की ग्राम लौनहा की गा. सं. 84 (कमट) व 85 (डार) में ग्राम गरीबों के 110 परिवारों को आवासीय पट्टा आवंटन के सम्बंध में है। पर वह गया की हारे ग्राम के ग्रामिनायक पट्टे से काटे गए हैं। अगले योजन व कार्य किए जाने की आवश्यकता है जिसमें ग्राम में और ग्राम की आवश्यकता प्रती ग्राम की गा. सं. 84 (कमट) व 85 (डार) का आवंटन ग्रामवासियों को गरी किया जाना चाहिए। जब ग्राम की आवश्यकता की उपयोक्त है। ग्राम की सरोजनी रातानी बाहेर।

अवल

पुष्पा

शशि

शुशी कुमारी

अशोक कुमार


Waseem

Lawrence

Shankar

Shankar

हस्ताक्षर
Shankar



Signature

Date: / /

Page No.: _____

जिसका लेखन में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा हाथ
डालकर समर्थन दिया गया।

अध्यक्ष (महेश प्रसाद) की अध्यक्षता में एवं
गाटा के बापा (काका) व. (दादा) की अध्यक्षता में
गरी चुनौती के निष्कर्षों को अंतर्गत न किए जाने
के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है।


प्रस्तुत पत्र पत्र
सहजता न करने के कारण सभी को पुनः संलग्न
पत्र के विषय को गुण / दोष पत्र पिचार हेतु
अध्यक्ष की अनुमति से उपरोक्त लेखन दि
प्रपत्र - 2021 को समय 11:30 बजे स्थान पंचायत
ग्राम शांति लोदी को विद्यार्थित कर सभी को
आनिर्वाह रूप से उपस्थित रहने हेतु सूचित किया
जाता है।

अन्य प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष
(महेश प्रसाद) की अनुमति से लेखन समाप्त की जाती
है।

(Handwritten signature)

जय दुर्गा

30/03/2021



NAME: _____

Signature



(Handwritten signature)



Date: / /

Page No.: _____

कार्यवाही


आज दि 29-04-2024 को पिछली खुली बैठक में
 दिए गए निर्धारित समय 11:30 बजे दिन के पंचायत
 सत्र में अध्यक्ष श्री प्रबोध साहू
 ग्राम लैन्ड पर विभिन्न वसूली करों की
 की जाती राशियों की सूची प्रदान की अनुचरि में
 आयोजित की गई है ग्राम प्रधान के द्वारा
 है। जिसमें 10 सप्ताह के अंदर में उपस्थित है
 बैठक का निर्णय पूरा है। अध्यक्ष श्री साहू की
 अनुचरि से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ
 की गई।

पंचायत
 पुष्पा
 निरंजन
 Dayanidhi

सर्वप्रथम श्रीमती लक्ष्मी देवी सरमा के पिछली
 कार्यवाही खुली बैठक जिसमें पंचायत उपजिला
 श्रीमती श्रीमती नार लक्ष्मी देवी 29-02-2024 पर
 धार/करी-लक्ष्मी देवी/2024 के विहित विषय जो की
 ग्राम की गला नं. 10 (अपार्ट) व 10 (अपार्ट) के
 ग्राम ग्राम गरी खुली के निवासियों के 118
 परिवारों को जापानिक करों का प्रारंभ के संबंध
 में ग्राम के मुख/दोष कर के विचार किए
 जाने हुए आज की बैठक आयोजित की गई
 है। बैठक के विषय में बोलते हुए कहा गया
 की ग्राम की करों पर ग्रामवासियों के अर्थ
 व विकास के कार्य करार किए जाएंगे न की
 अन्य संपत्तियों को करों का प्रारंभ की जाएगी
 चाहिए। जाविज की योजनाओं के अंतर्गत
 को करों की अनुपलब्धता नहीं होनी चाहिए
 उक्त विचार का सर्वप्रथम मंच पर

ज्ञानदु लाली
 उमिल
 सुधी कुमार
 Karmi Sharma
 अशोक कुमार
 Anand
 निरंजन

कुमार सरमा द्वारा ग्राम लक्ष्मी देवी



Handwritten signature or mark at the bottom right.

Date _____

Page No. _____

उपरोक्त सफाई द्वारा अपने कौनों हाथ उठाकर
अपना समर्थन व्यक्त किया।

पत्राचार

उत्तर सर्पसम्पत्ति से एवं पुत्र अद्यय की सम्पत्ति से पुत्र ग्राम की गाटा सं. 84A (ग्राम) व 84B (ग्राम) को प्राप्त गरीबों की निवासियों को आवंटित न किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है।

पुष्पा

विवाह

उत्तर कापलिन उपजिलाहजार सरोजनी गाटा लक्ष्मण से वि. गुरु विद्या पर पुत्राचार से सर्वसम्पत्ति से ग्राम की गाटा सं. 84A (ग्राम) व 84B (ग्राम) को अन्न ग्राम वसिष्ठा को आवंटित न किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है।

जानदु तारी

विवाह


अनिल

विवाह


उत्तर अद्यय (ग्र. प्र. सं.) ग्राम लानडा की संपत्ति से वंश सम्पत्ति की जाली है।

सुधाकर

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including a date stamp: 25/10/11 2024.



Handwritten signatures and names at the bottom right, including 'अशोक कुमार'.



Handwritten signature at the bottom right corner.

203

VY

(9)

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 817/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024

दिनांक : 24.02-2024

राजस्व निरीक्षक अमावां
तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा संख्या 268 (तालाब) में आवासित 118 अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को अन्य ग्राम लोनहा में भूमि गाटा संख्या: 814 व 815स (ऊसर) चिन्हित कर कार्यवाही किये जाने की आख्या आप द्वारा दिनांक 19.01.2024 को उपलब्ध करायी गयी थी।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा संख्या 268 (तालाब) में आवासित 118 परिवारों को पुर्नवासित किये जाने हेतु ग्राम लोनहा में उक्त चिन्हित भूमि में आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुये स्पष्ट आख्या सुसंगत साक्ष्यों सहित एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 अधिकरण के आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, लखनऊ।
3. तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।

उपजिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ।

तहसीलदार (स)

SDM(N)
02-03-2024



Signature

15

संलग्नक-09

प्रेषक

खण्ड विकास अधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक:- 663 /NGT चाँदे बाबा तालाब/2024-25


दिनांक: 05 अगस्त 2024

महोदय,

अपने कार्यालय के पत्र संख्या-217/मनरेगा/NGT चाँदे बाबा तालाब पत्रांक संख-0180/2023-24 दिनांक-03 जुलाई 2024 का संन्दर्भ लेने की कृपा करें जिसके अन्तर्गत इस विकास खण्ड के ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में चाँदे बाबा तालाब को संरक्षित करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त के क्रम में की गई कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

1-Removal Of Hyacinth- उक्त के अन्तर्गत मौके पर मौजूद तालाब में जलकुम्भी की सफाई का कार्य माह जून में ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था, पुनः वर्षा होने एवं तालाब में जल भराव होने के कारण तालाब में पुनः जल कुम्भी हो गयी है, जिसकी सफाई का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है(फोटो संलग्न)। वर्षा काल में अधिक गहराई वाले क्षेत्र में जल भराव अधिक होने के कारण वर्तमान में कार्य में कठिनाई होने के साथ-साथ श्रमिकों हेतु खतरनाक भी है। अतिशीघ्र शत-प्रतिशत सफाई कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।



2/8/24

2-Identification and tapping of drains to curtail pollution source sat inlet/Removal Of Polluted Water From Pond (1)

तालाब के पास निवास कर रहे विभिन्न बस्तियों के मकानों से गन्दा पानी तालाब में गिराया जा रहा था जिसमें मुख्य रूप से गढ़ी चुनौटी मुख्य बस्ती, नट खेड़ा तथा बनियन खेड़ा बस्ती में निवास कर रहे परिवारों के द्वारा अपने घरों का पानी गिराया जा रहा था जिसमें कुल तीन नाले तथा लगभग 20 व्यक्तिगत परिवारों के द्वारा अपने घरों के पानी को तालाब में गिराया जा रहा था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त समस्त बस्तियों व व्यक्तिगत घरों के पानी को कुल 1050 मी० के नाले, जो 03 मी० चौड़ा तथा 02 मी० गहरा है, की खुदाई ग्राम पंचायत से कराते हुये गन्दे पानी को तालाब में जाने से रोका गया है। इस गन्दे पानी को उपरोक्त नाले के माध्यम से चाँदे बाबा तालाब की सीमा से बाहर करते हुए अन्य नाले (नगवा नाला) में जोड़ दिया गया है एवं 03 मजरे के लगभग 20 घरों का गन्दा पानी जो खोदी गयी ड्रेन से इतर मार्ग से तालाब में जा रहा था, उसे कुल 290 मीटर पक्की नाली एवं 02 सोकपिट, 03 फिल्टर चैम्बर ग्राम पंचायत से बनाकर गन्दा पानी तालाब में जाने से रोक दिया गया है। अब कोई भी गन्दा पानी तालाब में नहीं जा रहा है।



3-Rejuvenation/Beautification Of The Pond - चाँदे बाबा तालाब में वर्तमान में लगभग-2-3 हे० क्षेत्र में आंशिक रूप से तालाब मीके पर मौजूद है, ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी द्वारा उक्त पर यह प्रस्ताव पास कर प्रेषित किया कि कार्य 01 हे० से अधिक होने एवं अधिक लागत का कार्य होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना सम्भव एवं नियमानुसार नहीं है। इसे अन्य जनपद स्तरीय कार्यदायी संस्था से कराया जाए। उक्त के क्रम में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कार्य का सर्वे करते हुये 2.90 हे० में कार्य कराये जाने हेतु कुल 80.87 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया, जिसकी स्वीकृति प्रदान करते हुये अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ को कार्य कराये जाने हेतु कार्यादेश दिया गया है। वर्षा ऋतु समाप्त होने एवं जल स्तर में कमी होने पर मीके पर मौजूद आंशिक तालाब का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

4- Plantation :- वृहद बृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस तालाब पर बृक्षारोपण का कार्य कराया गया जिसके सापेक्ष वर्तमान में इस तालाब पर लगभग 1300 पौधे वर्तमान में जीवित अवस्था में हैं। सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

खण्ड विकास अधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

पत्रांक/दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- उपायुक्त श्रम-रोजगार लखनऊ को सूचनार्थ।



खण्ड विकास अधिकारी,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

(Handwritten signature)

ग्राम पंचायत गढ़ी
चुनौटी, विकास खण्ड
सरोजनीनगर स्थिति
चाँद बाबा तालाब के
अन्तर्गत तरल
अपशिष्ट प्रबंधन हेतु
किये गये कार्यों का
विवरण



2/2/18

(2)


पूर्व में प्रेषित सूचना के उपरान्त (ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी, विकास खण्ड सरोजनीनगर में स्थिति चौद बाबा तालाब पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्न परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया गया है-

➤ तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु फिल्टर चैम्बर निर्माण-

- तालाब के समीप हरदयाल के घर के पीछे फिल्टर चैम्बर का निर्माण कार्य ।
- तालाब के समीप राम विलास के घर के पास फिल्टर चैम्बर का निर्माण कार्य।


➤ तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नाली निर्माण-

- राम प्रसाद के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य। 70 मीटर अतिविक्रित नाली निर्माण कराया गया है।



➤ तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नाला निर्माण-

- तालाब के समीप तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नाला निर्माण कार्य।




H

S. S. S.


ग्राम पंचायत गढी चुनौटी

सॉलफनक-04 ⁽¹⁴⁾

ग्राम पंचायत गढी चुनौटी में दारिया पुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण एवं सिल्ट केचर कार्य ।




नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य ।




(Handwritten signature)

(15)

3. ग्राम पंचायत चुनौटी में मुन्नी लाल के दरवाजे के पास ।




4. ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में रमेश पुत्र बाबूलाल के घर पास



Sgt

(16) =

5. ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में नरेन्द्र के घर पास ।



6. ग्राम पंचायत गढ़ी चुनौटी में चन्द्रीका के घर से गढ़हा तालाब तक नाली निर्माण कार्य 110 मी० ।




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


(17)

ग्राम पंचायत गढी चुनौटी चान्दे बाबा तालाब के पास निर्माण

1. ग्राम पंचायत गढी चुनौटी में दारिया पुर से नटखेड़ा तक नाली निर्माण एवं सिल्ट केचर कार्य ।



2. नटखेड़ा में पुलिया के पास फिल्टर चैम्बर निर्माण कार्य ।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


(18)

ग्राम पंचायत में गढ़ी चुनौटी में मनरेगा के कार्य

1. चान्दे बाबा तालाब पर वृक्षारोपण कार्य 2900 पोधे कुल व्यय धनराशि 29291 ।



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MINES MINTRA

कार्यालय जिलाधिकारी, Lucknow

(वनन-अनुभाग)
साधारण मिट्टी की निकासी हेतु अनुज्ञापत्र

संकेतिक 05



संख्या: NOC/OE/2024/7/4/376328

दिनांक: 02-08-2024

आवेदक एवं अवधि

आवेदक का नाम	PNC INFRATECH LTD	आवेदक का पता	PNC INFRATECH LTD, PNC TOWER CIVIL LINE BY PASS ROAD AGRA 282002
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 02-08-2024 नं 10-10-2024 तक	वनन का प्रयोजन	


वनन के लिए अनुज्ञा प्राप्त उपखनिज का विवरण

नाम	मात्रा
Ordinary Soil	34362.00 घन मी०
कुल	34362.00 घन मी०

साधारण मिट्टी के खनन हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	वहसीत	ग्राम / नगर	गाटा संख्या/खण्ड संख्या/प्लॉट संख्या	रकबा(हे०)	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम
Lucknow	SAROJNI NAGAR	गट्टी पुनोटी - 143504	268.	1.9090	नालाय.

आवेदक द्वारा अनुज्ञापत्र-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।



Digitally signed by SURYA PAL GANGWAR
Date: 02 Aug 2024 11:54:48
Lucknow

Surya Pal Gangwar

संलग्नक-06

3
20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
पत्रांक- 74 / 1.4.35-1 लखनऊ, दिनांक, अगस्त 03, 2024.
सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश के अनुक्रम में "चौदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके आदेश पत्रांक संख्या-3296/एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को उनके पत्रांक-889/35-1 दिनांक 01.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।



संलग्नक

(21)

"चौदे बाबा तालाब" के विकास से संबंधित वन विभाग की आख्या व अद्यतन स्थिति

अवध वन प्रभाग, लखनऊ के सरोजनीनगर रेंज अंतर्गत "चौदे बाबा का तालाब" गढ़ी चुनौटी लखनऊ में तालाब को वेटलैण्ड व पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास कराने हेतु डी0एफ0ओ0, लखनऊ द्वारा निरीक्षण करते हुए एक खुली सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वन विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग, नगर निगम, खण्ड विकास के अधिकारीगण व श्री उत्कर्ष सिंह चौहान सहित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। सभा में उपस्थित उक्त विभाग के समस्त अधिकारीगण से विचार-विमर्श कर संबंधित विभागों से तालाब के विकास हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण सत्र में 1000 आयरन ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण करने हेतु निर्देशित किया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज ने अपने पत्रांक-227/29 दिनांक 12.10.2023 (संलग्नक-1) द्वारा अवगत कराया गया कि "चौदे बाबा का तालाब" में संबंधित विभागों एवं स्थानीय ग्रामीणों के समक्ष लिये गये निर्णय के अनुसार माह जुलाई, 2023 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराता है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या-3269/एसटी-एडीएम(प्रशा0)/2023 दिनांक 27.10.2023 (संलग्नक-2) के क्रम में वन विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर ने अपने पत्रांक-266/35-1 दिनांक 31.10.2023 (संलग्नक-3) द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 1000 ट्री-गार्ड में पर्यावरणीय अनुकूल प्रजातियों का रोपण निम्न प्रकार पूर्ण कर लिया गया है-

क्र०सं०	आयरन ट्री-गार्ड में रोपित प्रजाति	रोपित किये गये पौधों की संख्या
1	अर्जुन	504
2	जामुन	195
3	सेमल	185
4	कचनार	86
5	पीपल	10
6	बरगद	10
7	पाकेड़	10
योग:-		1000 पौधे



[Handwritten Signature]



उक्त विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज को इस कार्यालय के पत्रांक-54/टी0सी0/29-1 दिनांक 29.07.2024 द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज के माध्यम से "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की कलर्ड फोटोग्राफ सहित अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज ने अपने पत्रांक-889/35-1 दिनांक 01.08.2024 (संलग्नक-4) द्वारा अवगत कराया गया है कि "चांदे बाबा तालाब" परिक्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति (सफलता प्रतिशत) सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार आयरन ट्री-गार्ड में उपर्युक्त तालिका के अनुसार रोपित पौधों की सफलता 100 प्रतिशत है। इस प्रकार खुली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वन विभाग द्वारा अनुपालन पूर्ण कर लिया गया है।

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।





स-07

24



[Handwritten signature]



25



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20



20

(22)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक 568 / 14-10-4 लखनऊ, दिनांक २१ जुलाई, 2024

सेवा में,

1. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ (सदस्य)।
2. जिला मत्सय अधिकारी, लखनऊ (सदस्य)।
3. अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ (सदस्य)।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश के अनुक्रम में गढी चुनौती तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे वावा तालाब के समन्ध में बैठक का आयोजन।

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश के अनुक्रम में गढी चुनौती तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे वावा तालाब के समन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26-07-2024 को अपराह्न 06:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक आहूत की गयी है।

कृपया उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(सितान्यु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 568 / 14-10-4 समदिनांकित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सितान्यु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

D/PC1/2024/Surveyor/letter-S



Scanned with OKEN Scanner

Handwritten signature or initials.

28

दिनांक 26-07-2024 को जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ की अध्यक्षता में जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक कलेक्ट्रेट राभागार में आयोजित की गयी

उक्त बैठक में गा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 602/2022 उत्तम सिंह चौहान वनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश के अनुक्रम में गद्दी चुनौती तहसील व विकास खण्ड सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित चॉदे बाबा तालाब के सम्बन्ध में बैठक की गयी।

जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक में कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक सं0 3269/एसटी-एडीएम0(प्रशा0)/2023 दिनांक 27-10-2023 के क्रम में सम्बन्धित विभागों को दिये गये निर्देशों के क्रम में विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि सर्वप्रथम चॉदे बाबा तालाब का डिसिल्टेशन कार्य, जन समुदाय की निर्भरता, मिट्टी का परीक्षण, कैंड्रेट्रल मैप तैयार करने का कार्य पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जाये, इसके उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि वेटलैण्ड के जल प्रवाह प्रणाली, जल के स्रोत, गिरने वाले नाले की क्षेत्रीय निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निरन्तर अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाये।

इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त चॉदे बाबा तालाब को आर्द्रभूमि अधिसूचित करने हेतु Brief document तैयार करके समिति के सभी सदस्यों के साथ पुनः विचार विमर्श किया जायेगा।

(सिताम्शु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 787 /14-10-4 लखनऊ, दिनांक 29, जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
3. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ।
4. जिला मत्सय अधिकारी, लखनऊ।

(सिताम्शु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

D/PC1/2024/Surveyor/letter-5



Scanned with OKEN Scanner

28



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी-ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई-मेल : rolucknow@uppcb.in

सैलानक-०७

पत्र संख्या : ६९२/रिट.याचिका-१५५/२५

दिनांक : ०५-०-२५

मा० एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में,

मुख्य विभागस अधिकारी,
लखनऊ।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-६०२/२०२२ उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०७/०५/२०२४ के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-२१७/मनरेगा/एन०जी०टी० (घन्डे बाबा का ता०)/पत्रा०सं०-०१८०/२०२३-२४ दिनांक ०३/०८/२०२४ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-६०२/२०२२ उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०७/०५/२०२४ अनुपालन में अग्रगत कराना है कि सन्दर्भित स्थल ग्राम-गद्दी चुनौटी, तहसील व विकास खण्ड-सरोजनी नगर, जनपद-लखनऊ में स्थित चन्डे बाबा तालाब के जल का अनुश्रवण भासिक रूप से कराया जा रहा है, पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-४९२/रिट याचिका-१४४/२०२४ दिनांक ०५/०७/२०२४ के माध्यम से माह जनवरी २०२४ से माह-जून, २०२४ तक की विश्लेषण आख्याएं प्रेषित की जा चुकी हैं।

अतः माह-जुलाई, २०२४ को किये गये जल नमूनों की विश्लेषण आख्या संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


(डा० उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

- प्रतिलिपि:-**
1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रभागीय वनाधिकारी, अथवा वन प्रभाग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-५), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी







CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Date: 02/08/2024

Ref no-27164376/CENTRAL/2024

- 1- Sample Location: Chande Baba Talab (East Side)
- 2- District: Lucknow
- 3- Address: Vill- Garhi Chumauti, sarojini nagar, Lucknow
- 4- Sample Source: Pond
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Ankur Gautam, MA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Lit. plastic Jerrycan, 1 DO Glass Bottle, 1 MPN Glass Bottle
- 9- Date of Sample Collection : 16/07/2024
- 10- Analysis Identified by : RO Lucknow
- 11- Date of sample receipt in Lab : 16/07/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500-B: 2023	-	7.50	02-12
Colour APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	40	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	1260.0	0.1-10000 µS/cm
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	56.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	764.0	5.0 -10000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	240000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	92000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	18.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	87.2	4.0 -1000 mg/l
D.O., APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	8.86	0.2-14.0 mg/l

*Non-NAHL Parameters

Note: 1. The results in the Test Report is liability to the items tested. 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: * - NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA), Ili Singh (JRF)]

Authorized by
Reta Keshav
Reta Keshav (ASO)



RAM
GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 2024.08.02
17:10:10 +0530



CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 Building, No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Date: 02/08/2024

Ref no-27264411/CENTRAL/2024

- 1- Sample Location: Chande Baba Talab (West Side)
- 2- District: Lucknow
- 3- Address: vill- Garhi Chunauti, sarojini nagar , Lucknow
- 4- Sample Source: Pond
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Ankur Gautam, MA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Lit. plastic Jerrycan, 1 DO Glass Bottle, 1 MPN Glass Bottle
- 9- Date of Sample Collection : 16/07/2024
- 10- Analysis Indented by : RO Lucknow
- 11- Date of sample receipt in Lab : 16/07/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500-B: 2023	-	7.42	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	40	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	$\mu\text{S/cm}$	1384.0	0.1-10000 $\mu\text{S/cm}$
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	68.0	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	836.0	5.0 -10000 mg/l
Total Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	140000	<1.8 MPN/100 ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed. : 2023	MPN/100 ml	78000	<1.8 MPN/100 ml & above
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	24.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	95.2	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	7.23	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report refer only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of Laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: * - NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA), Iti Singh (JRF)]

Authorized by
Reeta Keshav
Reeta Keshav (ASO)



Digital signed by RAM
GOPAL
Date: 2024-08-02 17:12:44
+05'30'

RAM GOPAL
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
सरोजनीनगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद लखनऊ।

पत्रांक : १७५ / एस०टी०-एस०डी०एम० / 2024

दिनांक : ०६-०८-२०२४

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ग्राम गढ़ी चुनौटी परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 268 के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 602/2022 उत्कर्ष सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा संख्या 268 (तालाब) में अवैध रूप से आवासित परिवारों को बेदखल किये जाने एवं गरीब परिवारों को पुर्नस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जांच राजस्व निरीक्षक अमावां, तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी।

राजस्व निरीक्षक अमावां तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 01.05.2024 में अवगत कराया गया है कि ग्राम लोनहा की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 14.03.2024 व 29.04.2024 को की गयी बैठक में ग्राम लोनहा की गाटा संख्या 814 (ऊसर) व 815 (ऊसर) को गढ़ी चुनौटी के निवासियों के लिये आवंटित न किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में ग्राम गढ़ी चुनौटी से संलग्न अन्य ग्रामों व न्याय पंचायत में भूमि की उपलब्धता की जांच की जा रही है एवं उपयुक्त भूमि पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर ग्राम गढ़ी चुनौटी के गाटा संख्या 268 (तालाब) में आवासित कुल 118 गरीब परिवारों को पुर्नस्थापित किये जाने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से प्रचलित है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम गढ़ी चुनौटी की गाटा संख्या 268 (तालाब) में आवासित 05 परिवार, जो कि आवंटन/पुर्नस्थापन हेतु पात्रता की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को उ०प्र०

Singh

राजस्य संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत बेदखल किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदया, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चतुर्थ तल, बी ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।


उप जिलाधिकारी
सरोजनीनगर, लखनऊ

